

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-section (II)

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 563] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 31, 1982/पौष 10, 1904
No. 563] NEW DELHI, FRIDAY, DEC. 31, 1982/PAUSA 10, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1982

का. आ. 868(अ).—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 80) की
धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा,
भारत सरकार, गृह मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) की दिनांक
18 जून, 1981 की अधिसूचना संख्या 375/11/81-ए.वी.डी. (4) [का. आ.

488(अ)] (श्री एम. के. रे, जांच आयोग से संबंधित) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना के पैरा 4 में “8 महीने की अवधि के भीतर” अंको और शब्दों के स्थान पर “30 जून, 1983 को अथवा उससे पहले” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फ. नं. 375/11/81-ए.वी.डी (4)]

यु. सी. अग्रवाल, सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & A. R.)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1982

S.O. 868(L)—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs (Department of Personnel and Administrative Reforms) No. 375/11/81-AVD.IV[S.O. 488(E)], dated the 18th June, 1981 (relating to the Commission of Inquiry consisting of Shri S. K. Ray), namely :—

In paragraph 4 of the said notification, for the words, “within a period of six months”, the words, figures and letters “on or before the 30th day of June, 1983” shall be substituted.

[File No. 375/11/81-AVD IV]

U. C. AGARWAL, Secy.